



Startup Bundelkhand

(Jhansi Technology Startup Meetup)
(Jhansi Linux Meetup)

Emails: startup@siddhast.com

Phone- 7376314900

संरक्षक

सेठ परशुराम अग्रवाल
Valuer श्री राकेश अग्रवाल
(Mentor, StartUpIndia)

संयोजक

श्री देवेश अग्रवाल
अधिवक्ता)
श्री रोशन अग्रवाल
(इंजीनियर)

सदस्य

समर जीत
विकास सिंह
अंशुल गुप्ता
धीरज यादव
अमित शर्मा
राहुल मिश्रा

ज्ञापन

सेवा में
श्री रामतीर्थ सिंघल जी,
महापौर
नगर निगम
झाँसी

विषय - झाँसी स्मार्ट सिटी परियोजना में MSME कानून एवं GFR २०१७ के अंतर्गत स्टार्टअप व msme द्वारा टेंडर में छूट का प्रावधान का न होना

महोदय

आपका ध्यान, झाँसी नगर निगम द्वारा निकाली गयी निविदा संख्या 2019_DOLBU_353329_1 पर आकर्षित करना चाहूँगा जिसके अनुसार यह निविदा सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए ही है जहाँ एक ओर केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात कर रही है एवं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 अगस्त 2019 के अभिभाषण में कहा गया कि "हम तय करें अपने जीवन में मेरे देश में जो बनता है, मिलता है, वो मेरी प्राथमिकता होगी और हमें तो local product पर बल देना है। जो गांव में बनता है पहले उसके लिये प्राथमिकता होनी चाहिये। वहां नहीं तो तहसील में, तहसील से बाहर जाना पड़े तो, जिले में, जिले के बाहर जाना पड़े तो, राज्य में और मैं नहीं मानता हूँ कि उसके बाद अपनी आवश्यकताओं के लिये कहीं जाना पड़ेगा। कितना बड़ा बल मिलेगा? हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बल मिलेगा?, लघु उद्यमियों को कितना बल मिलेगा?, हमारी परंपरागत चीजों को कितना बल मिलेगा?"

लेकिन वही झाँसी नगर निगम के झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हाल में निकाले गए तकरीबन 142 करोड़ रुपया मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी का टेंडर इस तरीके से निकला गया जिससे उसमें झाँसी का कोई भी स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भाग नहीं ले सकते, आपसे अनुरोध है कि इस टेंडर एवं इस तरह के अन्य टेंडर को छोटे छोटे भागों में बाट कर निविदायें मांगी जाए जिससे की क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी के सूक्ष्म लघु उद्योग एवं स्टार्टअप्स को विकास का मौका मिल सके एवं झाँसी में स्टार्टअप हब व सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हो सके।

धन्यवाद

रोशन अग्रवाल

संयोजक व संरक्षक झाँसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मीटअप ग्रुप

907 चंद्र विहार कॉलोनी झाँसी

7376314900

व्यवस्थापक

सृजनात्मक संगठन भारत

कंपनी संरक्षक


सिद्धस्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
इन्नोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड

जनता यूनिअन



स्मार्ट सिटी का काम क्षेत्रीय लोगों को दिया जाये

■ महापौर को दिया ज्ञापन




झाँसी जयूस। स्टार्टअप बुन्देलखण्ड ग्रुप न उठाई सूचना प्रौद्योगिकी की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की माँगों को एवं झाँसी स्मार्ट सिटी परियोजना की निविदाओं में एमएसएमई कानून एवं जीएफआर के अन्तर्गत छूट देने को लेकर आज झाँसी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप मीटअप ग्रुप से संयोजक संरक्षक रोशन अग्रवाल ने महापौर को ज्ञापन दिया। जिसमें बताया कि झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदाएँ के नियम और शर्तों में कार्य कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व स्टार्टअप के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भाग लेने से रोकते हैं। एक ओर केन्द्र सरकार सूक्ष्म, लघु उद्योग एवं स्टार्टअप को बढ़ाबवा

देने की बात कर रही है। जो गाँव में बनता है पहले उसके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन वहीं नगर निगम के झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हाल ही में निकाले गए करोड़ों के टेंडर में झाँसी का कोई भी स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भाग नहीं ले सकते हैं। स्टार्टअप बुन्देलखण्ड ग्रुप माँग करता है कि झाँसी स्मार्ट सिटी द्वारा जो निविदाएँ माँगी गई हैं वह छोटे-छोटे भागों में बाँटकर निविदाएँ दी जायें जिससे क्षेत्रवासियों को मौका मिल सके। इस अवसर पर सह संयोजक अधिवक्ता हरिराम अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल आदि ज्ञापन देते समय उपस्थित रहे।

दैनिक विश्व परिवार

30/08/2019

स्टार्टअप बुदेल्खंड ग्रुप ने उठाई सूचना प्रौद्योगिकी की सूक्ष्म



झाँसी। सृजनात्मक संघटन, भारत के अधीन स्टार्टअप बुदेल्खंड ग्रुप ने झाँसी में कार्य कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग व् स्टार्टअप को झाँसी स्मार्ट सिटी परियोजना की निविदाओं में MSME कानून एवं GFR 2017 के अंतर्गत छूट देने को लेकर झाँसी के महापौर रामतीर्थ सिंघल को

ज्ञापन दिया।

स्टार्टअप बुदेल्खंड के संयोजक रोशन अग्रवाल ने बताया झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निकाली गयी निविदाएं के नियम और शर्तों झाँसी में कार्य कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम व् स्टार्टअप के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भाग लेने से रोकते हैं। झाँसी नगर निगम के झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड

लघु एवं मध्यम उद्योग की मांगें, दिया ज्ञापन

द्वारा हाल में निकाले गए तकरीबन 142 करोड़ रुपया मूल्य का सूचना प्रौद्योगिकी का टेंडर इस तरीके से निकला गया जिससे उसमें झाँसी का कोई भी स्टार्टअप एवं लघु उद्योग भाग नहीं ले सकते। मांग की गई कि झाँसी स्मार्ट सिटी द्वारा मांगी गई निविदाएं को छोटे छोटे भागों में बांट कर निविदायें मांगी जाए जिससे की क्षेत्र के सूचना प्रौद्योगिकी के सूक्ष्म लघु उद्योग एवं स्टार्टअप्स को विकास का मौका मिल सके एवं झाँसी में स्टार्टअप हब व् सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास हो सके। संरक्षक राकेश अग्रवाल, सह संयोजक अधिवक्ता देवेश, हरिराम अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल अदि के नेतृत्व में यह

30-08-2019

स्टार्ट अप, लघु उद्योग नहीं ले सकेंगे स्मार्ट सिटी के कामों में भाग

झाँसी : टेक्नॉलजि स्टार्ट अप मीट अप ग्रुप ने संयोजक व संरक्षक रोशन अग्रवाल के नेतृत्व में महापौर को ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि गया स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निकाली गयी निविदाओं में ऐसे नियम और शर्तें लगी दी हैं, जिनको झाँसी में कार्य कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम व स्टार्ट अप के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे वे विकास कार्यों में भागीदार नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एक साथ किसी भी काम की निविदा निकालने की जगह अलग-अलग काम की निविदा निकालने की बात कही। इस दौरान संरक्षक राकेश अग्रवाल, सह-संयोजक अधिवक्ता देवेश, हरिराम अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, मोहित अग्रवाल आदि मौजूद रहे।